

परीख हुक्म

पत्रावली आज पेश हुई।

वादी/प्रार्थी वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व वाद/राजस्व आवेदन दिनांक 22.10.2019 को दर्ज करने के बाद वादी/प्रार्थी वकील को प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिस डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु वादी/प्रार्थी वकील द्वारा आज तक प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिस पेश नहीं किये। वादी/प्रार्थी वकील को सम्मन/नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी वादी/प्रार्थी वकील ने प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिस पेश नहीं किये। लगभग चार वर्ष सात माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत वादी/प्रार्थी का राजस्व वाद/राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

सहायक क्लर्क
(SDO) धोरीमन्ना

